प्रेस नोट 17.01.2021

एक जिलाबदर अपराधी गिरफ्तार–

दिनांक 16.01.2021 को थाना **कोतवाली** पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान परदहा से जिलाबदर अपराधी उपेन्द्र सिंह उर्फ कल्लू पुत्र सभाजीत सिंह निवासी परदहा थाना कोतवाली जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 36/21 धारा 10 यूपी गुण्डा नियत्रंण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 21 व्यक्ति गिरफ्तार–

आज दिनांक 17.01.2021 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **दोहरीघाट** पुलिस द्वारा कमलेश राय निवासी गोठा लोहारपुरा थाना दोहरीघाट, थाना **घोसी** पुलिस द्वारा बसन्त यादव, अजय यादव, सुबेदार यादव, सुभम निवासीगण मुस्कुरा थाना घोसी, थाना **हलधरपुर** पुलिस द्वारा कुन्दन सिंह, उपेन्द्र सिंह निवासीगण सिघवल, सत्यदेव सिंह, विनोद निवासीगण लसरा, विजय प्रकाश, संदीप कुमार निवासीगण गुलौरी, सुनील राजभर, विक्रम राजभर, अनिल राजभर, लालू राजभर, अखिलेश राजभर, मनोज राजभर निवासीगण गोबरिया थाना हलधरपुर, थाना **कोतवाली** पुलिस द्वारा अजय कुमार त्रिपाठी, रोहित उपाध्याय निवासीगण सहादतपुरा थाना कोतवाली, थाना **मुहम्मदाबाद** पुलिस द्वारा मनोज, अजय निवासीगण मालव पिचोखर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

ऐच्छिक ब्यूरो के प्रयास से 20 में से 07 मामलों का हुआ निस्तारण, दो दंपत्ति साथ रहने को हुये राजी–

महिला ऐच्छिक ब्यूरो की बैठक रविवार को पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी मधुबन राजकुमार सिंह के देखरेख में हुआ। इस दौरान ऐच्छिक ब्यूरो में कुल 20 मामले आए, जिसमें सदस्यों के प्रयास से सात मामलों का निस्तारण हुआ। इसमें दो दंपति साथ–साथ रहने को तैयार हो गए, वही दो मामलो में पक्षकारों के बीच सुलह न होने के चलते पत्रावली अग्रिम कार्यवाही के लिए अग्रसारित कर दी गई। बैठक मे आठ मामलों में एक–एक पक्ष तथा पांच मामलों में कोई पक्षकार उपस्थित नहीं हुआ। जिसके चलते बैठक की अगली तिथि 07 फरवरी 2021 नियत कर पक्षकारों को नोटिस भेजे जाने का निर्देश दिया गया। ऐच्छिक ब्यूरो के सदस्यों के प्रयास से गीता सिंह और अमित सिंह तथा प्रतिमा और रामदरश ने अपने सभी मतभेद भुलाकर साथ–साथ रहने को तैयार हो गए। वही माया देवी और संजय राजभर तथा लालमती और आनंद के मामले मे पक्षकारों के बीच सुलह न होने की स्थिति मे पत्रावली अग्रिम कार्यवाही के लिए अग्रसारित कर दी गई। वही रामनगीना और शोभा,एजाज और मिस्वा परवीन तथा गुड्डू राजभर और ममता राजभर के मामले मे पक्षकारों की सहमति से पत्रावली निस्तारित कर दी गई। तथा आठ मामलों में एक एक पक्षकार उपस्थित हुए। वही पांच मामलों में कोई पक्षकार उपस्थित नहीं हुआ। जिसके चलते बैठक की अगली तिथि 07 फरवरी 2021 नियत कर पक्षकारों को नोटिस भेजे जाने का निर्देश दिया गया। बैठक में प्रतिसार निरीक्षक विजय कुमार सिंह, ब्यूरो के सदस्यगण विनोद कुमार सिंह ,मौलवी अरशद, डा. एम ए खांन, महिला आरक्षी प्रीति दुबे और सोनी सिंह ने अपना योगदान दिया। इस दौरान काफी संख्या में पक्षकार व उनके परिजन उपस्थित रहे।